भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं.3349
उत्तर देने की तारीखः 24.03.2021

स्थायी और अस्थायी सफाई कर्मचारी

3349. श्री नीरज डांगी:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में कार्यरत स्थायी और अस्थायी सफाई कर्मचारियों की राज्य-वावर संख्या क्या है;
(ख) क्या यह सच है कि नियमित और नैमित्तिक सफाई कर्मचारियों को प्रदान किए जाने वाले भत्तों और सुविधाओं में अंतर है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सफाई कर्मचारियों को कार्य के दौरान समुचित सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराये जाते हैं;
(घ) यदि हां, तो मल-जल सफाई के कार्य के दौरान दम घुटने से उनकी मृत्यु होने के क्या कारण हैं; और
(ड.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री रामदास आठवले)

(क): सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा ऐसे कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ख): स्वच्छता राज्य का विषय है, इसलिए स्वच्छता कर्मियों को या तो स्थानीय निकायों अथवा स्वच्छता सेवा अपेक्षा वाले संगठनों द्वारा लगाए जाते हैं। तदनुसार, मजदूरी उस नियोक्ता द्वारा निर्धारित की जाती है जो इन कर्मियों को काम पर लगाता है।

(ग): हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध तथा उनका पुनर्वास नियमावली में यह उपबंधित है कि नियोक्ता से यह अपेक्षा है कि वह इस नियमावली के तहत विहित सुरक्षा गियर, उपकरण उपलब्ध कराएगा तथा सुरक्षा उपाय करेगा। इसके अलावा,

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने सीवरों तथा सेप्टिक टैंकों की सफाई करते समय अपनाए जाने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया भी परिचालित की है।

(घ): सीवर और सेप्टिक टैंकों में घातक दुर्घटनाएं विहित सुरक्षोपायों और मानक संचालन प्रक्रिया का पालन नहीं करने के कारण होती हैं।

(ड.): एक मशीनीकृत सफाई ईको-सिस्टम राष्ट्रीय नीति बनाई गई है तथा कार्यान्वयन हेतु इसे राज्यों को परिचालित किया गया है। इस नीति में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह परिकल्पना की गई है कि प्रत्येक जिले में जिम्मेदार सफाई प्राधिकारी की नियुक्ति की जाए तथा प्रत्येक नगरपालिका में एक सेनिटेशन रिस्पांस यूनिट की स्थापना की जाए जो आवश्यक मशीनों, उपकरणों तथा मशीनीकृत सफाई के लिए वाहनों और पेशेवर प्रशिक्षित कार्मिक शक्ति से सुसज्जित होगी ताकि सीवरों तथा सेप्टिक टैंकों की सुरक्षित सफाई सुनिश्चित हो सकें।

*****